

Entry

आदेशफलक Disposal

श्री. आशु लाल शर्मा

प्रमाण पत्र पदाधिकारी का

बलियापुर  
न्यायालय, धनबाद

प्रमाण पत्र वाद सं० 19/17-18

रुका के लिये

श्री. गिरंजन विद पिता लाल बहादुर विद  
ग्राम बलियापुर थाना बलियापुर  
जिला धनबाद के 21649/1 रुपये की

वसूली हेतु अधियाचन पत्र दायर किया है। इनमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक भाँग वसूली अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत में सन्वुष्ट हूँ। इसे पंजी 10 में दर्ज करें


मोहिस लाल शर्मा  
प्राप्त किया।  
श्री ० धनबाद प्रवासी  
20/12/18

धारा-7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें। अभिलेख दिनांक 10.11.18 को प्रस्तुत करें।

Sh  
19/12/18  
प्रमाण-पत्र पदाधिकारी  
धनबाद।

13/1/18

अभिलेख उपस्थापित। देनदार अनुपस्थित। देनदार द्वारा अधियाचित राशि जमा नहीं किया गया है, और न ही उनके और से कोई पैरवी है।  
अतः अधियाचित राशि जमा करने हेतु देनदार के विरुद्ध चेतावनी नोटिस निर्गत करें, तथा अभिलेख दिनांक 24/1/18 को उपस्थापित करें।

  
13-01-18  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।


नोटिस तारीख 13/01/18  
जमा किया।  
चौक - अनंजय बाड़ी  
दिनांक - 16/01/18

24/1/18

अभिलेख उपस्थापित। देनदार द्वारा अधियाचित राशि जमा नहीं किया गया है, और न ही उनके और से कोई पैरवी है।  
अतः अधियाचित राशि जमा करने हेतु देनदार के विरुद्ध चेतावनी नोटिस निर्गत करें, तथा अभिलेख दिनांक 24/1/18 को उपस्थापित करें।

अतः अभिलेख की कार्रवाई

समाप्त की जाती है।

  
11/02/2023  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर